



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 652 राँची, बुधवार,

16 अक्टूबर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2024

सं०-14/न्याय-05/2023-5797--श्री राजेश कुमार (रा०पु०से०), तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची के विरुद्ध अधिसूचना संख्या-4280, दिनांक-14.07.2015 के द्वारा 02 (दो) वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या-6757, दिनांक-29.11.2017 के द्वारा अपरिवर्तित रखा गया ।

W.P(S) No-6000/2023 राजेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-10.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या-4280, दिनांक-14.07.2015 तथा अधिसूचना संख्या-6757, दिनांक-29.11.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड को, निरस्त किया जाता है। तदनुसार श्री राजेश कुमार, रा०पु० से० को सभी परिणामी लाभ अनुमान्य होगा ।

उपर्युक्त आदेश पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,

सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 652 - 50